

महत्वपूर्ण

249

35

प्रेषक,

जिला नगर योजनाकार,
रोहतक ।

सेवा में,

जिलाधीश,
रोहतक ।

यादी क्रमांक 781 दिनांक 6-4-04

विषय:-

अनापत्ति प्रमाण पत्र पेट्रोल पम्प लगाने हेतु गांव मदीना,
रोहतक ।

हवाला:-

आपके पत्र क्रमांक 639-644 दिनांक 19.3.04 के तन्दर्भ में ।

उपरोक्त विषय पर हवालाधीन पत्र के तात्थ प्राप्त कागजात
का अध्ययन करने उपरान्त सूचित है कि:-

1. दल का स्थल छातरा नं० 128/8/2, 13 हे रक्बा 4 कनाल
॥ मरले गांव मदीना गिदराणा इत विभाग द्वारा घोषित
नियन्त्रित क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से बाहर पडता है ।
2. स्थल को रोहतक हितार राष्ट्रीय राजमार्ग 10 से पहुंच प्राप्त
है । अतः पहुंच बारे अनुमति व भूतल परित न मन्त्रालय नई
दिल्ली से प्राप्त करेगा तथा 30 मी० की वर्जित पट्टी में
कोई निर्माण नही करेगा ।

NOC may be issued subject to condition no. 2.

यह प्रमाण पत्र अन्य किसी विभाग के नियमों पर प्रभावी

नही होगा ।

जिला नगर योजनाकार,
रोहतक ।

सत्यापित प्रतिलिपि
True Copy Attested



06 JUN 2020